न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 04/2017/अपील

राजेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम तारपुरा, तहसील व जिला सीकर। — अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील व जिला –सीकर। — रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व
निर्णय दिनांक 15.03.2017 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 15 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) पटवारी हल्का तारपुरा से एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत इस आशय की प्राप्त हुई कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन चारागाह खसरा नम्बर 1874/949 रकबा 42.84 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर में दो दुकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 563, 786, 797, 953 कुल किता 4 रकबा 3.46 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें अपीलान्ट के पिता ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में यन्त्र व पशु चारा रखने के लिए दो कमरे करीब 40 वर्ष पूर्व से बना रखे हैं, जो चारागाह भूमि में नहीं होकर अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की भूमि में है। उक्त तथ्य पर तहसीलदार सीकर ने न तो पटवारी हल्का के बयान लिये न किसी अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति की साक्ष्य ली व बिना मौका देखे ही अपनी आज्ञा दिनांक 15.03.2017 पारित कर दी।

(2) अपीलान्ट के पिता ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में यन्त्र व पशु चारा रखने के लिए दो कमरे करीब 40 वर्ष पूर्व से बना रखे हैं, जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का ने कभी आपत्ति नहीं की। अब आपसी रंजिशवश व राजनैतिक द्वेषता से आधारहीन शिकायत अपीलान्ट के प्रस्तुत की है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(3) तहसीलदार सीकर ने न तो पटवारी हल्का के बयान लिये न किसी अन्य स्वतन्त्र व्यक्ति की साक्ष्य ली, अपीलान्ट को अपना कथन व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया, ना ही पटवारी द्वारा कोई नोटिस व सूचना दी गई व बिना मौका देखे की अपनी आज्ञा पारित कर दी।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट के पिता ने अपने हिस्से की कृषि भूमि में यन्त्र व पशु चारा रखने के लिए दो कमरे करीब 40 वर्ष पूर्व से बना रखे हैं, जो चारागाह भूमि में नहीं होकर अपीलान्ट के पिता की खातेदारी की भूमि में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.2017 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) पटवारी ग्राम दौलतपुरा तन कटराथल की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 ग्राम दौलतपुरा के अनुसार **खसरा नम्बर 1874/949 रकबा 42.84 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चारागाह** पर अपीलांट द्वारा दो दुकान बनाकर अनधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत पत्र दिनांक **24.01.2017** द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलन्ट की ओर से दिनांक **23.02.2017** को नोटिस का जवाब पेश किया गया है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अपनी बात के पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहमार)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(3) न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 15.03.2017 के अनुसार ग्राम तारपुरा **खसरा नम्बर 1874/949 रकबा 42.84 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चारागाह** से बेदखल किया जाकर लगान का 50 गुना 5 रूपया वसूली का आदेश दिया गया है।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों/जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना है।

6. उपरोक्त पैरा संख्या 5 के तथ्यों, साक्ष्यों एवं पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दौलतपुरा **खसरा नम्बर 1874/949 रकबा 42.84 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चारागाह** पर दो दुकान बनाकर अनधिकृत अतिक्रमण कर कब्जा किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक **15.03.2017** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. अपील अपीलांट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक :**।५ अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner